785वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15/04/2025

The 783rd meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 15th April, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. Case No 10721/2023 Smt. Asha Patwala, Lessee, R/o 91, Sukh Niwas, District-Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Dhamanda Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (19885 cum per year) (Khasra No. 37/1), Village-Dhamanda, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) [DEIAA] (EIA).

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुर्नमूल्यांकन के लिए टॉर के प्रस्तुतीकरण का है, जिसमें आज दिनांक 15/04/25 को परियोजना प्रस्तावक के Authorized Representative Shri Asheesh Patwala एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती आशा सुनील पाटवाला निवासी 91 सुख निवास रोड जिला इंदौर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 37/1 (शासकीय भूमि–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.0 हे.
स्थल	Village- Dhamanda, Tehsil &District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक.क्रमांक 631/खनिज /उ प /871 /2019–2020 दिनांक 29/06/2019 के द्वारा नवनीकरण स्वीकृत व लीज अवधि दिनांक 15.07.2019 से 14.07.2029 तक के लिए स्वीकृत की गयी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का	डिया देवास के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 8.06.2016 के द्वारा पत्थर	

विवरण (यदि लागू हो)	–55,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	सेक की 702 वीं बैठक दिनांक 16.12.2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2655/SEIAA/2024 दिनांक 29.01.2024 के द्वारा उत्पादन क्षमता 19,885 घनमीटर/वर्ष पत्थर के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–19,885 घनमीटर/वर्ष पत्थर हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 19,885 घनमीटर/वर्ष पत्थर है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनका रकबा 7.740 है। इस प्रकार इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 11.74 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं वन क्षेत्र 3.33 किलो मी. की दूरी पर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण /पक्का रास्ता /नाला नहीं है एवं कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मी की दूरी से दूर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत भानगढ़ जिला देवास पत्र दिनांक 04.06.2009 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज के बाहर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खनन योग्य क्षेत्र में 3 पेड़ स्थित हैं जिन्हें विस्थापित किया जावेगा व विस्थापित किये जाने पेड़ों को बैरियर जोन अथवा एप्रोच रोड पर लगाए जावेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा :– **नाला – 120 मी.।**

	दक्षिण दिशा :– **पक्की सड़क – 65 मी.** खदान पट्टा क्षेत्र के अंदर 35 मीटर का सेटबैक दिया जाएगा। सड़क से 100 मीटर की दूरी के बाद ही कार्य किया जाएगा, जिसमें केवल रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा। इस क्षेत्र में ब्लास्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
	दक्षिण पश्चिम दिशा – **तलैया** **तलैया** से 100 मीटर का सेटबैक दिया जाएगा। तलैया से 100 मीटर की दूरी के बाद ही कार्य किया जाएगा, जिसमें केवल रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा। इस क्षेत्र में ब्लास्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 06/09/2024 को संपन्न हुई जिसमे। तालाब गहरीकरण का सुझाव प्राप्त हुआ , इसके अतिरिक्त कोई आपत्ति / सुझाव नही ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–2 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है ।

During presentation PP submitted following details about the proppsed project:

Sr. no	Content	Description
1.	Aadesh	Existing quarry Lease was sanctioned to Smt. Asha sunil Patwala vide letter no. 631 Dewas dated 29/06/2019 and agreement was done for 10 years (15/07/2019 to 14/07/2029)
2.	Lease Validity	from 15/07/2019 to 14/07/2029.
3.	DEIAA EC	Initially, The Environmental Clearance was granted in favor of Smt. Asha Sunil Patwala by DEIAA Dewas vide letter no. 44/DEIAA/2016 Dewas dated 08-06-2016
4	Approved mining scheme	The mining scheme has been approved by Directorate of Geology & Mining MP Regional office Indore vide letter no. 40114 Indore, Dated 20/09/ 2024.
5.	Issued ToR letter	TOR granted by MP-SEIAA meeting 825th dtd 12-01-2024

		vide letter 2655 dtd 29-01-2024.
6	Baseline	Post Monsoon season: - October 2023 to December 2023 the data of the baseline study is furnished in the presentation.
7	Public Hearing	Public hearing for the project was held on dtd 06-09-2024 at the proposed mine lease area

PP stated that a pucca road is located at a distance of 65 meters in the SE direction hence, 35 meters left as setback w.r.t. to pucca road. Blasting is not proposed and no tree felling is proposed.

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:

- Reply of TOR compliance must be specific and with reference to EIA chapter details.
- TOR points reply marked as noted/blank must be addressed properly.
- To review surface water sources details/results and mention the conclusion.
- To review the soil samples sources details/results and mention the conclusion.
- To upgrade /justify the relevant portions of EIA as discussed during presentation.

2. <u>Case No 9899/2023 Shri Manmohan Kochhar, Proprietor, M/s Elite Engineers, 48, Narmada Road, Opposite Johnson Towers, District-Jabalpur (MP) Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" at Plot No.-62, 63, 64, 65 Umariya Dungariya Industrial Area, Shahpura, Umariya, District-Jabalpur, (M.P.)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" at Plot No.-62, 63, 64, 65 Umariya Dungariya Industrial Area, Shahpura, Umariya, District-Jabalpur, (M.P.).

The case was scheduled for presentation and discussion wherein PP vide letter dated nil has requested that due to some unforeseen circumstances we are unable to attend he meeting . Committee after deliberation decided to accepted the request made by PP and decided to scheduled the case in thefourthcoming SEAC meeting..

3. Case No 10495/2023 Shri Nikhil Singh, Lessee, R/o MIG-28, Pratham Tal, Gomti Colony, Nehru Nagar, District-Bhopal (MP)-462039, Prior Environment Clearance for Kardai Stone (Gitt & M-Sand) Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-6621, M-Sand-35310 cum per year) (Khasra No. 244, 245), Village-Kardai, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-EIA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/04/25 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री तरूण विश्वकर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री निखिल सिंह आत्मज श्री प्रेमशंकर सिंह निवासी शॉप नं तृतीय तल क्वालिटी परिक्रमा इंद्रा प्रेस काम्प्लेक्स जोन 1 एम पी नगर भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	No. 244,245 (शासकीय भूमि–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.0 हे.
स्थल	Village-Kardai, Tehsil-Huzur &District- Bhopal (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक. क्रमांक क्यू /खनिज /उ.प. /2015 दिनांक 07/05/2015 के द्वारा स्वीकृत है एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक. 3198–99/खनिज/2022 दिनांक 24/11/2022 के माध्यम से एम सेण्ड खनिज जोड़ा गया है। **लीज अवधि दिनांक 16.08.2016 से 15.08.2026 तक के लिए की स्वीकृत है।**	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 683 दिनांक 30.08.2016 के द्वारा पत्थर (गिट्टी) – 19,950 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	सेक की 689 वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2112/SEIAA/2023 दिनांक 24.11.2023 के द्वारा उत्पादन क्षमता 6,621 घनमीटर/वर्ष पत्थर (गिट्टी) (गिट्टी) एवं 35,310 घनमीटर/एम सेण्ड के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर (गिट्टी) – 6,621 घनमीटर/वर्ष पत्थर (गिट्टी) एवं 35,310 घनमीटर/एम सेण्ड हेतु आवेदन किया गया है	

	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 6,621 घनमीटर/वर्ष एवं 35,310 घनमीटर/एम सेण्ड पत्थर (गिट्टी) है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2687 दिनांक 04/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनका का रकबा 18.00 है। इस प्रकार इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 22.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2687 दिनांक 04/08/2023 के संलग्न अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। वन मण्डलाधिकारी अनापत्ति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2687 दिनांक 04/08/2023 के संलग्न अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । तहसीलदार अनापत्ति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत करदई जिला भोपाल के क्रमांक 06 दिनांक 03.10.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज के अंदर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खनन योग्य क्षेत्र में स्थित पेड़ो का विवरण – 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	**दक्षिण पश्चिम –** दक्षिण पश्चिम में 95 मी. पर परियोजना प्रस्तावक के साईट कार्यालय व आश्रय स्थल स्थित है
	दक्षिण दिशा– दक्षिण दिशा में 5 मी. पर खदान हॉल रोड स्थित हैं ।
	पूर्व दिशा – नाला **–** 295 मी.

जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 07/06/2024 को संपन्न हुई जिसमे। रोजगार मिल जाये, पेड़ पौधे वितरण किये जाये, रोड की मरम्मत की जाये स्कूल में सामग्री वितरण की जाये उपरोक्त आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–24 के सरल क्रमांक–31 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुछ झाड़ियॉ लगी हुई हैं एवं लीज क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी दिशा में 95 मीटर की दूरी पर श्रमिकों को अस्थाई निवास हैं एवं दक्षिण दिशा में एक हालेज रोड निकल रही है।

After presentation the committee asked PP to submits following information for further consideration of the project:

- Reply of TOR compliance must be specific and with reference to EIA chapter details.
- TOR points reply marked as noted/blank must be addressed properly.
- To review surface water sources details/results and mention the conclusion.
- To review the soil samples sources details/results and mention the conclusion.
- To upgrade /justify the relevant portions of EIA as discussed during presentation.
- To submit Ekal certificate considering forest department opinion.

4. <u>Case No 10984/2023 M/s OM Crusher Stone, Partner Shri Ved Prakash Sharma, R/o Gautam Vihar Colony, District Shivpuri , MADHYA PRADESH, 473551. Prior Environment Clearance for Stone and Murum Quarry in an area of 2.00 ha.(Stone 30500 and Murum 2550 cum per year) (Khasra No. 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3), Village-Bamor, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) [DEIAA] (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/04/2025 को परियोजना प्रस्तावक अधिकृत प्रतिनिधि श्री पुष्पराज खटिक M/s OM Crusher Stone, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स ओम क्रेशर स्टोन पार्टनर श्री वेद प्रकाश शर्मा पुत्र श्री जी एल शर्मा निवासी गौतम बिहार कॉलोनी शिवपुरी जिला शिवपुरी	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3 (नजी भूमि–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.0 हे.
स्थल	Village- Bamor, Tehsil Badarwas &District- Shivpuri (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र .क्रमांक 846–847 दिनांक 27/07/2016 के द्वारा स्वीकृत । अवधि दिनांक 11.08.2016 से 10.08.2026 तक स्वीकृत है ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया शिवपुरी के पत्र कमांक 629 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा पत्थर –30,500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	सेक की 730 वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र कमांक 358/SEIAA/2024 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा उत्पादन क्षमता 30,500 घनमीटर/वर्ष पत्थर एवं 2,550 घनमीटर/ वर्ष मुरुम के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30,500 घनमीटर/वर्ष पत्थर एवं 2,550 घनमीटर/ वर्ष मुरुम घनमीटर/वर्ष पत्थर हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 30,500 घनमीटर/वर्ष पत्थर एवं 2,550 घनमीटर/ वर्ष मुरुम घनमीटर/वर्ष पत्थर है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र	

परिधि में अन्य खदानें	क्रमांक 1279 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, खदान का रकबा 15.0 है। इस प्रकार इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 17.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1279 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1279 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत बामौर जिला शिवपुरी के क्रमांक 02 दिनांक 29. 06.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज के बाहर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• खनन योग्य क्षेत्र में स्थित पेड़ो का विवरण – 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा :– **नाला – 260 मी.।** दक्षिण दिशा :– **हॉल रोड – लगभग 305 मीटर ।**
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30/08/2024 को संपन्न हुई जिसमे। गाँव के क्रेशर की सड़क में गड्ढे हो गए है उन्हें सही कराये रोड में मिटटी डालकर गड्ढे भरे जाये वृक्षारोपण का प्रबंध किया जाये। उपरोक्त आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–13 के सरल क्रमांक–9 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी दिशा में 270 मीटर की दूरी पर एक नाला स्थित है।

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:

- Reply of TOR compliance must be specific and with reference to EIA chapter details.
- TOR points reply marked as noted/blank must be addressed properly.
- To review surface water sources details/results and mention the conclusion.
- To review the soil samples sources details/results and mention the conclusion.
- To upgrade /justify the relevant portions of EIA as discussed during presentation.
- To adreess Public hearing point no. 09 raised by Ms. Geeta Bai Jatav in EMP/CER .

5. <u>Case No. 11149/2024Shri Anand Jaiswal, Owner, R/o 117, Mahatma Gandhi Marg, Bhikangaon, District-Khargone, (MP)-451331, Prior Environment Clearance for Amankhedi Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5043 cum per year) (Khasra No. 16/1), Village-Amankheri, Tehsil-Bhikangaon, District-Khargone (MP) [420131] [DEIAA] Referred Back by SEIAA . Query Reply.</u>

Brief Chronology of the project:

- Earlier this case was recommonded through SEAC 743rd meeting dated 27.04.2024 to SEIAA.
- SEIAA referred back this case in their 853th meeting dated 22.05.2024 to SEAC.
- PP was given opportunity in SEAC meeting 763rd dated 04.06.2024 the PP couldn't attend to present the case.

Therefore this case was scheduled for query reply presentation (w.r.t. SEIAA query). Wherein the case was presented by Shri Varun Bhardwaj from M/s Zenith Enviro.

24. प्रकरण क्र. 11149/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आनन्द जयसवाल आत्मज श्री रामनारायण जयसवाल, निवासी –117, महात्मा गांधी मार्ग, भीकनगांव जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5043 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 16/1, ग्राम अमनखेड़ी, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यायलीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

समिति ने चर्चा उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर संशोधित माईनिंग प्लान (नॉनब्लास्टिंग आधारित) एवं भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं.– IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) दिनांक 28/4/202328 के

बिन्दु – 5 (x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा नवीन कलस्टर सार्टिफिकेट अपलोड करें।

6. <u>Case No. 10455/2023 Shri Nitin Chouhan, Owner, R/o 27, Sukhniwas, District-Indore (MP)-453331 Prior Environment Clearance for Sitapat Crusher Stone Quarry in an area of 1.55 ha. (12500 cum per year) (Khasra No. 209/1/1), Village-Sitapat, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP) [431865] [DEIAA] (Reffered Back).</u>

प्रकरण आज सेक की 785वीं बैठक दिनांक 15/04/25 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

7. <u>Case No. 10480/2023 Smt. Hate Singh, Lessee, R/o H.No. 45, Nazirabad, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)-462420, Prior Environment Clearance for Khajuriya Kalan Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (7115 cum per year) (Khasra No. 212/1), Village-Khajuriya Kalan, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP) [432672] Reffered Back case by SEIAA.</u>

प्रकरण को आज दिनांक 15/04/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमे परियोजना प्रस्तावक श्री हटे सिंह सोलंकी ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस प्रकरण को समिति की बैठक क्रमांक 760 दिनांक 29/05/2024 में अनुशंसित किया गया था एवं सिया द्वारा 879वीं बैठक दिनांक 18/03/2025 को परिवेश पोर्टल पर संशोधित माईनिंग प्लान अपलोड करने का परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये गये थे।

समिति ने चर्चा उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर संशोधित माईनिंग प्लान (नॉनब्लास्टिंग आधारित) एवं भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं.– IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) दिनांक 28/4/202328 के बिन्दु – 5 (x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा नवीन कलस्टर सार्टिफिकेट भी अपलोड करें।

8. <u>Case No 11078/2023 Shri Prashant Nayak R/o Ganj Basoda, District vidisha (MP)-464221 Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 1.862 ha. (6250 cum per year) (Khasra No. 85/2, 85/3), Village-Lehadra, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP) [433516] [DEIAA] (Reffered Backby SEIAA)</u>

पूर्व में यह प्रकरण समिति की बैठक क्रमांक 740 बैठक दिनांक 24.04.2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गयी थी ।

सिया की बैठक क्रमांक 850 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा प्रकरण को पुनः परिक्षण हेतु अग्रेषित किया है बैठक की कार्यवाही विवरण है कि :–

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ नंबर IA3–22–11–2023 IA III (E 208230) दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble NGT , it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13-09-20218 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been re-appraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

उपरोक्त विषय में सेक की 760 बैठक दिनांक 29.05.2024 प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर परियोजना प्रस्तावक से जानकारी चाही गई थी :–

1. यह प्रकरण परिवेश पोर्टल 1.0 फॉर्म 1 के माध्यम से आवेदित किया गया था एवं इसमें फॉर्म– 2 नहीं भरा गया था।

2. उक्त प्रकरण में प्रस्तावक द्वारा आवेदित उत्पादन क्षमता 6250 घन मीटर प्रतिवर्ष फर्शी पत्थर है एवं पूर्व में डिया विदिशा द्वारा जारी कि गयी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार स्वीकृत उत्पादन क्षमता 1080 घन मीटर प्रतिवर्ष है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन उत्पादन क्षमता पर आवेदन किया गया है।

3. सिया बैठक क्रमांक 826 दिनांक 23–01–2024 को जारी किये कार्यवाही विवरण में दी गयी एस.ओ.पी. के बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार यदि उत्पादन क्षमता में कोई भी बदलाव आता है तो प्रकरण नवीन प्रकरण के रूप में मान्य किया जावेगा एवं उक्त प्रकरण में उत्पादन क्षमता में बदलाव पाया गया है

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण को पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति डिया द्वारा प्रदाय की गई थी, प्रकरण पुर्नमूल्यांकन का नहीं है। इस प्रकरण को नया आवेदन के तहत आवेदित किया गया है एवं प्रकरण उत्पादन क्षमता वृद्धि 1080 से 6250 घन मीटर/वर्ष का है। समिति

ने परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव द्वारा उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति ने चर्चा उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि परिवेश पोर्टल पर भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं.– IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) दिनांक 28/4/202328 के बिन्दु – 5 (x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा नवीन कलस्टर सार्टिफिकेट अपलोड करें।

9. <u>Case No. 10729/2023 Shri Rajesh Thakur, Owner, R/o Ward No. 7, Devi Mohalla, Bhaisdehi, District-Betul (MP)-460220, Prior Environment Clearance for Dhudiyanai Crusher Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (7684 cum per year) (Khasra No. 166/3), Village-Ghudiya Nai, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) [433801] [DEIAA] Reffered Back.</u>

प्रकरण आज सेक की 785वीं बैठक दिनांक 15/04/25 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

10. Case No. 11217/2024 Shri Deepak Solanki, Owner, R/o House No. 403, Ward No. 11, Bus Stand Ke Pass, Gram-Dhulkot, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for Itariya Stone Quarry in an area of 1.150 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 534), Village-Itariya, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP) [443976] Query Reply.

- Earlier this case was recommonded through SEAC 745rd meeting dated 30.04.2024 to SEIAA.
- SEIAA referred back this case in their 854th-B meeting dated 27.05.2024 to SEAC.

This case was scheduled for query reply presentation wrt SEIAA query, wherein the case is presented by Shri Varun Bhardwaj from M/s Zenith Enviroment Consultancy, Noida, UP.

PP presented Gram Sabha Thrav Prastav dated 16.04.2023 and with reference distance from the settlement PP stated that wrong kml was uploaded on Parivesh portal 2.0, hence presented revised KML based on coordintaes mentioned in the approved Mining Plan as given below:

S. No.	Pillar No.	Latitude	Longitude
1	A	21°34'18.91"N	76° 7'59.45"E
2	B	21°34'18.46"N	76° 8'2.38"E
3	C	21°34'15.39"N	76° 8'4.55"E
4	D	21°34'15.58"N	76° 7'59.17"E

PP further stated that a sesonal stream is existed at a distance of 33 meters hence addiotional 17 meters set back is left as non- mining area. So that mineable area shall be 1.0 h. and non mining area 0.15 ha. and as per revised KML, also no trees are existed within the lease area.
Committee have reviewed the case in light of corrected KML wrt above coordinates as mentioned in approved mining plan and considering a set back to ensure 100 meters distance from sesonal stream. Hence, Committee decided to standby SEAC earlier recommondation made in SEAC 745th dated 30.04.2024.

11. <u>Case No 9670/2023 Shri Subhash Chand Bansal, Partner, R/o MIG-II, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)-483773, Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines in an area of 1.777 ha. (50704 Tones per annum) (Khasra No. 640, 639, 649), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [415733] EIA referred back by SEIAA.</u>

Brief Chronology of the project:

- Earlier this case was recommonded through SEAC 739rd meeting dated 23.04.2024 to SEIAA.
- SEIAA referred back this case in their 849th meeting dated 14.05.2024 to SEAC.
- In the SEAC 754th meeting dated 20.05.2024 forwarded to SEIAA for administrative decision at their level.
- SEIAA referred back this case in the 856th meeting dated 29.05.2024.

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण क्र. 9670/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र बंसल निवासी एम.आई.जी.–2, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शांति नगर के पास, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर–50704 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.777 हेक्टेयर खसरा 640, 639, 649 ग्रम भदावर तहसील बडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 750वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में अनुसार

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसें कार्यवाही विवरण में अधिरोपित डिया शर्तो के पालन के बिंदु कमांक–6 "कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये" हो गया है जबकि समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे होना चाहिए । अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण में अधिरोपित डिया शर्तो के पालन के बिंदु कमांक–6 "कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये" के स्थान पर प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे पढ़ा जावें शेष अन्य अनुशंसा/शर्ते यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 749वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्ययलीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

"………4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA……"

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

तः उक्त प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) की 749वी बैठक दिनांक 14.05.2024 के निर्णय को थावत रखा जाता है

The case is reviwed by committee in light of previous recommendation and found fit to recommend for grant of EC hence, Committee decided to standby SEAC earlier recommondation made in SEAC 739th meeting dated 23.04.2024 and SEAC 754th meeting dated 20.05.2024.

12. <u>Case No 11113/2023 SHRI ANKUSH JAIN, R/o 1/3,69 Kalidas Marg Maxi Road, District Ujjain (MP)-456001 Prior Environment Clearance for Murum Mine in an area of 1.64 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 463/1), Village-Tajpur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [449792] [DEIAA] (B2) referred back by SEIAA.</u>

Brief Chronology of the project:

- Earlier this case was recommonded through SEAC 754th meeting dated 20.05.2024 to SEIAA.
- SEIAA referred back this case in their 859th meeting dated 05.06.2024 to SEAC.

परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसे आज दिनांक 15/04/25 को समिति के समक्ष रखा गया, परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, ऑनलाईन एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की :–

- The case was re-appraised by SEAC on 24 May 2024 in agenda number 754.
- It was then presented to SEIAA on 5 June 2024 in agenda 859.
- Since the project got DEIAA EC on 5 Oct 2018, SEIAA thus based on the OM issued by MoEF&CC on 7 May 2024 which mentioned cutoff date for projects to be 13 Sep 2018, referred the case back to SEAC
- NGT on 9 August 2024 issued a decision in which the cutoff period was changed from 13 Sept 2018 to 11 Dec 2018.
- Based on the above decision, MOEF&CC issued a new OM on 14 Oct 2024 updating the previous deadline as per the NGT guidelines and directed all DEIAA to SEIAA cases to be appraised/re-appraised by 7 Nov 2024.
- On 12 Nov 2024, Supreme Court extended this deadline of getting appraisal/re-appraisal to 31 March 2025. MoEF&CC issued an OM on 16 Nov 2024 and then on 23 Jan 2025 incorporating the same.
- The deadline was again extended till 29 May 2025 by the Supreme Court through an order issued on 27 March 2025.
- We request you to kindly consider our case for re-appraisal.

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–उज्जैन का पत्र कमांक 10362 दिनांक 06/12/2023 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि स्वीकृत उत्खनन पट्टे के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान (श्री अंकित पिता दिनेश गुप्ता, ग्राम ताजपुर, खसरा नं. 532/1)स्वीकृत है जिसका रकबा 1.0 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 2.64 हे. होता है जो 5.0 हे. से कम है। अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी में आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विवरण को विचार कर समिति द्वारा पूर्व **754वीं बैठक दिनांक 20/05/2024** मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

13. <u>Case No.11206/2024 Shri Ashu Khan, Owner, R/o Akbar Colony, Town-Khamera, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP)-464551 Prior Environment Clearance for Khamera Crusher Stone Quarry in an area of 1.619 ha. (13775 cum per year) (Khasra No. 30/8, 30/9/2), Village-Khamera, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP) [450633] (B2), DEIAA Case.</u>

- Earlier this case was recommonded in the SEAC 745th meeting dated 30.04.2024.
- SEIAA referred back this case in the 854th-B meeting dated 27.05.2024.
- Consequenly SEAC was generated ADS in the SEAC meeting 766th meeting dated 08.06.24.

Thus meeting in this case was scheduled for query reply presentation wrt SEIAA query. Wherein the presented by Shri Varun Bhardwaj from M/s Zenith Enviroment Consultancy, Noida, UP.

During presentation the committee observed the Google image of the site for year 2014 & 2015 wherein the pit exists prior to the sanctioned of mine lease to applicant hence, commiittee standby earlier recommondataion as made in the SEAC 745th meeting dated 30.04.2024.

14. <u>Case No. 11187/2024 Shri Sanjeev Samaiya S/o Shri Babulal Jain, Owner, R/o Makan No. 864/1, Ward No. 9, Holi Chowk, District-Raisen (MP)-464886, Prior Environment Clearance for Kakrua Stone Quarry in an area of 2.429 ha. (7276.5 cum per year) (Khasra No. 2/1/1/1), Village-Kakaruwa, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP) [451001] [B-2-DEIAA] Query Reply</u>

Earlier this case was discussed in the SEAC 744th meeting dated 29.04.2024 after presentation following query was asked by the committee .

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

प्रस्तावित खदान का ईआईए प्रस्तुतीकरण है, जिसमें आज दिनांक 15/04/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित दिनांक 06/09/2024 नॉनब्लासटिंग का रॉक ब्रेकर पर आधारित संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया।
- एक पक्का रोड खदान से दक्षिण दिशा में 51 मी. की दूरी पर है। अतः इस संबंध में निर्धारित 100 मीटर स्थानवार मापदंड दर्शाते हुए सरफेस मेप प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार लीज कुल क्षेत्र 2.429 हे. में से 1.92 हे. क्षेत्र खनन योग्य एवं 0.509 हे. गैर खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता पत्थर –7276.5 घनमीटर/वर्ष
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.14 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	शासकीय प्राथमिक शाला ककरुआ में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
2.	ककरुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
	Total	30,000

15. <u>Case No 11048/2023 Shri Pawan Bisen, Owner, R/o C.B. Raman Ward, Barapattar, District-Seoni (MP)-480661 Prior Environment Clearance for Alonia Crusher Stone Quarry in an area of 2.62 ha. (24510 cum per year) (Khasra No. 82/2), Village-Aloniya, Tehsil-Seoni, District-Seoni (MP) [451019] [DEIAA] (B2)</u>

- Earlier this case was recommonded in the SEAC 754th meeting dated 20.05.2024.
- SEIAA referred back this case in the 859th meeting dated 05.06.2024.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पास कुछ स्ट्रक्चर एवं प्लान्ट संरचना परिलक्षित है एवं खदान के लगी हुई कुछ काफी संख्या में प्लानटेशन संरचना भी परिलक्षित हो रही है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि परिलक्षित संरचना क्या है एवं इससे कितनी दूरी छोड़ी जायेगी। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये । तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि सिया द्वारा बैठक में उठाये गये बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

16. <u>Case No 11037/2023 Shri Rajendra Kiledar, Lessee, R/o Bazar Chowk, Bhainsdehi, District-Betul (MP)-460220, Prior Environment Clearance for Rabadya Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (5842 cum per year) (Khasra No. 63/2, 63/4), Village-Rabadya, Tehsil-Athner, District-Betul (MP) [451364] [DEIAA] (Query) Referred back by SEIAA.</u>

प्रकरण को आज दिनांक 15/04/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमे परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने प्रकरण के संबंध में बताया कि –

1. Initially this case was scheduled in SEAC 734th meeting dtd 01 April 2024 and query was generated regarding the revised mining plan.
2. Later PP submitted the affidavit for submitting the revised mining plan and on basis committee recommondation for EC in SEAC 760th meeting dtd 29-05-2024
3. SEIAA vide meeting 879th meeting dtd 18-03-2025 referred back this case to SEAC, with a query to submit the revised mining plan of without blasting on Parivesh Portal.

समिति ने चर्चा उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर संशोधित माईनिंग प्लान (नॉनब्लास्टिंग आधारित) एवं भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं.– IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) दिनांक 28/4/202328 के बिन्दु – 5 (x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा नवीन कलस्टर सार्टिफिकेट भी अपलोड करें तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

17. <u>Case No. 10876/2023 Shri NAVEEN AGRAWAL, Owner, Village- Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P.), Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2900 cum per year) (Khasra No. 30), Village- Lepa, Tehsil- Kasrawad, District- Khargone (M.P.). Reffered Backby SEIAA .</u>

- Earlier this case was recommonded in the SEAC 753th-B meeting dated 18.05.2024.
- SEIAA referred back this case in the 859th meeting dated 05.06.2024.

प्रकरण में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में उपरोक्त की अनुशंसा में पर्यावरण प्रबंधन योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी उल्लेख नहीं किया गया है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये । तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

समिति ने चर्चा उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर उपरोक्त जानकारी अपलोड करें तदुपरान्त प्रकरण में विचार किया जावेगा।

18. <u>Case No. 11062/2023 Ms Gurjeet Keer, Lease Owner, R/o Makan No. 86, Lalbag Road, District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for BorgaonBuzurg Stone Mine in an area of 1.00 ha. (9500 cum per year) (Khasra No. 1545/3/2S), Village-BorgaonBuzurg, Tehsil-Pandhana, District-Khandwa (MP) [452658] Reffered Back</u>

- Earlier this case was recommonded in the SEAC 785th meeting dated 20 .05.2024.
- SEIAA referred back this case in the 859th meeting dated 05.06.2024.

आज दिनांक **15/04/2025** को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव ऑनलाईन मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत हुये ।

प्रकरण क्र. 11062/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती गुरजीत कीर पत्नि श्री उपेन्द्र सिंह कीर निवासी– म.नं. 86, लालबाग रोड़, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 1545/3/2 भाग, ग्राम – बोरगांव, तह. पंधाना, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पास आबादी परिलक्षित है जिसमें माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार (पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है) निर्धारित दूरी 200 मीटर तक छोड़ने के उपरांत खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

समिति ने चर्चा उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर उपरोक्त जानकारी अपलोड करें तदुपरान्त प्रकरण में विचार किया जावेगा।

19. <u>Case No. 11211/2024 Smt. Nandini Puloriya W/o Vikas Puloriya, Owner, R/o 07, Pahadsingpura, Haveli Path, District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Rangaon Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (17100 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Rangaon, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP) [453646] [DEIAA] Query Reply</u>

- Earlier this case was recommonded in the SEAC 745th meeting dated 30.04.2024.
- SEIAA referred back this case in the 854th-B meeting dated 27.05.2024.
- SEAC generated ADS in the SEAC meeting 766th meeting dated 08.06.24.

Hence, in this meeting the case was scheduled for query reply presentation w.r.t. SEIAA query. Wherein the case was presented by Shri Varun Bhardwaj from M/s Zenith Enviroment Consultancy, Noida, UP.

During presentation the committee observed that the Google image of the site of the year of March 2014 & October 2016 wherein the pit exists prior to the sanctioned of mine lease to applicant hence, commiittee standby earlier recommondataion as made in the SEAC 745th meeting dated 30.04.2024.

20. <u>Case No. 11322/2024 M/s Mahalaxmi Mines and Minerals, Partner shri Tilak Raj Grover, R/o Ward No. 04, Khalwara Bajar, Kymore, Tehsil Vijayraghavgarh, District Katni (MP) - 483880 Prior Environment Clearance for Jajagarh Stone Quarry in an area of 1.30 ha. (22739 cum per year) (Khasra No. 2/1 & 2/2P), Village-Jajagarh, Tehsil-Barhi, District-Katni (MP) [442313] Query Reply</u>

- Earlier this case was recommonded for TOR in the SEAC 745th meeting dated 30.04.2024.
- SEIAA referred back this case in the 854th -B meeting dated 27.05.2024.

आज दिनांक 15/04/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए ।

प्रकरण क्र. 11035/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक पालीवाल, निवासी– स्टेशन रोड़, वार्ड न. 05, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24795 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 35/1/2 ग्राम मिरकाबाद, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 734वी बैठक दिनांक 01.04.2024 एवं 753वी–B बैठक दिनांक 18.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–अशोकनगर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 445 दिनांक 03/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है जिनको मिलाकर कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिका होता है। अत उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला अशोकनगर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

समिति ने उपरोक्त सिया द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को सेक की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 को अनुशंसित किये गये टॉर बिन्दुओं के साथ अतिरिक्त सिया द्वारा 854वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 में टॉर बिन्दु को शामिल करते हुये सेक की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 को टॉर जारी करने की अनुशंसा को यथावत रखती है।

21. <u>Case No. 11004/2023 Shri Lakhwinder Panag, R/o 1238, Sector 90, S.S. Nagar, Mohali, Punjab, 140308, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha.(150024 cum per year) (Khasra No. 946), Village-Badauro Kalan, Tehsil-Gaurhiar, District-Chhatarpur (MP) [438781] [DEIAA] Query Reply</u>

- Earlier this case was recommonded for TOR in the SEAC 733th meeting dated 28.03.2024.
- SEIAA referred back this case in the 845th meeting dated 24.04.2024.

30. प्रकरण क्र. 11004/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लखविन्दर सिंह आत्मज श्री जगमेल सिंह, निवासी– हाउस नं. 1238, सेक्टर 90, एस.ए.एस. नगर, मोहाली (पंजाब) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150024 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 946, ग्राम बदौरकला, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 40 मीटर की दूरी पर मानब बसाहट एवं 85 मीटर पर पक्की सड़क परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के मापदण्ड अनुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

आज दिनांक 15/04/2025 को प्रकरण के परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑनलाईन भी उपस्थित नहीं हुए।

<u>समिति "सिया द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में" इस निर्णय पर पहुँची है कि ब्लास्टिंग मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में खनन कार्य हेतु कोई एरिया शेष नही बचता है तथापि ब्लास्टिंग नहीं होने की स्थिति में मान्य करने हेतु पक्की सड़क से 100 मी. एरिया छोड़ने पर बचे हुये क्षेत्र में खनन कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक होगा कि नहीं ? इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक एडीएस के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुंत करें तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।</u>

अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु :–

Member Secretary SEAC informed that fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.

(ए.ए.मिश्रा)	(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव	अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions .

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.

17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल क्रेशर /एम–सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. **क्रशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

39. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू–स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**

1. **<u>क्षतिपूर्ति के संबंध में:–</u>**
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Minable Potential of sand mine.
    e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range

officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**